बिहार सरकार
वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक– 20-08-2020

सं०–एम–4–08 / 2020 4116 / वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–
   (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी ।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–30 के उपनियम–(xxi) के बाद उपनियम–(xxii) के रुप में निम्नलिखित जोड़े जायेगें :–

"इन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के रहते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने राज्य के अधीन किसी देश या देशों या देश–समूहों के बोलीदाताओं / निविदादाताओं से अधिप्राप्ति संबंधित निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक शर्त्त / प्रतिबंध / बंधेज यथा पूर्व निबंधन और / या स्क्रीनिंग सहित अन्य शर्त्त लगाये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश / दिशा–निर्देश लिखित रुप से निर्गत कर सकेगी; इस तरह के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर कोई अधिप्राप्ति नहीं की जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–एम–4–08 / 2020 4116 / **वि०** **पटना, दिनांक** 20-08-2020

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–एम–4–08 / 2020 4116 / **वि०** **पटना, दिनांक** 20-08-2020

प्रतिलिपिः–सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः–एम–4–08 / 2020 4116 / **वि०** **पटना, दिनांक** 20-08-2020

प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)